

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 251 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 251 / 14  
संस्थापन दिनांक-21 / 07 / 2016  
फाइलिंग नं-230303015342014

राधेश्याम शर्मा पुत्र सतीश शर्मा,  
उम्र 34 साल,  
निवासी ग्राम भगवासा परगना गोहद

.....पुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

वि रू द्ध

श्रीमती बबीता बाई पत्नी राधेश्याम शर्मा,  
पुत्री जगदीशप्रसाद आयु 30 साल,  
निवासी ग्राम भगवासा हाल निवासी-बडागर,  
परगना गोहद जिला भिण्ड

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका

न्यायालय-श्री केशवसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद जिला-भिण्ड के  
न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-42/2010 मु.फौ. बबीता वि. राधेश्याम में पारित  
आदेश दिनांक 04/08/2014 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 31/01/2017 को पारित किया गया)

1. श्री केशवसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक-42/2010 मु.फौ. बबीता वि० राधेश्याम में पारित आदेश दिनांक 04/08/2014 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के विरुद्ध आवेदिका/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की भरणपोषण याचिका अंतर्गत धारा-125 दप्रसं० को स्वीकार कर 1500/-मासिक भरणपोषण दिलाये जाने का आदेश किया गया था।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पक्षकारों के मध्य संपादित बताया गया हिन्दू रीति रिवाज के तहत विवाह दिनांक-22/06/2003

को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद द्वारा वैवाहिक प्रकरण क्र०-19/2014 निर्णय दि०-15/09/2016 में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा-12 (1)(क) के तहत शून्य घोषित किया जा चुका है।

3. आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में धारा-125 द.प्र.सं. के तहत अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध दि०-22/6/2003 को संपन्न हुए हिन्दू रीति रिवाज के विवाह के पश्चात् संतान उत्पन्न न होने व दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने व उसका भरण पोषण न कर परित्याग कर दिये जाने के कारण भरण पोषण भत्ता 5000/-रूपये मासिक दिलाये जाने हेतु आवेदन किया था। जिसमें अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विस्तृत जबाब प्रस्तुत कर संपन्न विवाह को चुनौती देते हुए आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता के नपुंसक होने के आधार पर भरण पोषण के आवेदनपत्र का विरोध किया गया था।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् दि०-4/8/14 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता को आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता के पति की हैसियत से रखने के कारण सामाजिक व आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए 1500/-रूपये मासिक भरण पोषण राशि आदेश दिनांक से प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर उक्त पुनरीक्षण याचिका अनावेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

5. पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता के साथ दि०-22/06/2003 को ग्राम बडाघर तहसील गोहद जिला भिण्ड में विवाह संपन्न हुआ था, विवाह के पश्चात् कोई संतान नहीं हुई। क्योंकि शादी के बाद कभी भी उसके साथ संभोग नहीं हुआ और आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता नपुंसक है, जिसके आधार पर हिन्दू विवाह

अधिनियम 1955 की धारा 12 (1)(क) के तहत अपर जिला जज गोहद में विवाह शून्य घोषित करने के लिए आवेदन किया गया था। जिसमें आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता को मेडीकल परीक्षण कराये जाने के लिए न्यायालय द्वारा उसके आवेदन पर आदेश करते हुए जिला मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर मेडीकल परीक्षण कराये जाने का आदेश किया गया, किन्तु आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता ने उसका पालन नहीं किया और न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की। जिसके कारण उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है और 1500/-रूपये मासिक का भरण पोषण का आदेश गलत रूप से किया है तथा साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया। इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को निरस्त किया जावे।

6. विचारणीय यह है कि—“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित-04/08/2014 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

**--:- निष्कर्ष के आधार --:-**

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।
8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह आधार लिया है कि आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता विवाह होने के पूर्व से ही नपुंसक थी। और विवाह पश्चात से कभी भी पुनरीक्षणकर्ता का उसके साथ शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, ना कोई संभोग हुआ और आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता से हमेशा छिपाती रही। पर्याप्त प्रतीक्षा उपरांत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विवाह को शून्य घोषित कराने हेतु अपर जिला न्यायालय गोहद में हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की। जिसमें भी आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता को मेडीकल परीक्षण का आदेश हुआ किन्तु उसने कभी भी आदेश का पालन नहीं किया ना ही

मेडीकल परीक्षण का सामना किया और अंततः अपर जिला न्यायालय गोहद से दि०-22/6/2003 को संपन्न विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा-12(1)(क) के तहत शून्य घोषित किया गया है। इसलिये पति पत्नी न रहने के आधार पर आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता, अनावेदक/प्रतिपरीक्षणकर्ता से किसी प्रकार का भरण पोषण पाने की पात्र नहीं है। इसलिये आलोच्य आदेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त किया जावे। जबकि आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विवाह हिन्दू रीति रिवाज से हुआ था और द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद के द्वारा प्रकरण क्र०-19/2014 वैवाहिक में 15/09/2016 को जो निर्णय घोषित किया है, उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, इसलिये निर्णय अंतिम नहीं है और जब विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया था उस समय आदेश नहीं था। तथा साक्ष्य आधारित विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का भरण पोषण संबंधी पारित आदेश है, जिसमें कोई अवैधानिकता, अनियमितता नहीं है इसलिये आलोच्य आदेश उचित व न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षण याचिका को सब्यय निरस्त किया जावे।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर बबीता पुत्री जगदीशप्रसाद शर्मा ने अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी के नाते दि०-23/04/2010 को धारा-125 दप्रसं० के तहत भरण पोषण याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसमें अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता उपस्थित हुआ था, जवाब प्रस्तुत किया और विचारणीय प्रश्नों का निर्माण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य को संकलित कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया था जिसमें आवेदिका/प्रतिपरीक्षणकर्ता की ओर से स्वयं बबीता एवं सूरज शर्मा की साक्ष्य करायी थी। अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खण्डन में स्वयं के अलावा राकेश चतुर्वेदी का अभिसाक्ष्य कराते हुए अपर जिला न्यायालय गोहद में विवाह

शून्य घोषित करने संबंधी लगायी वैवाहिक याचिका प्र.डी.-2 के रूप में, उससे संबंधित आदेश प्र.डी.-1, डी.-4 व 5 डी.-5 के रूप में आदेशपत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां पुलिस को की गयी शिकायत प्र.डी.-6, उनकी डाक रसीदें प्र.डी.-7 व 8 और बबीता के मेडीकल परीक्षण हेतु दिये गये आवेदनपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.-3 के रूप में पेश करते हुए उसी पर आधारित खण्डन साक्ष्य भी दी थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश में पक्षकारों श्रीमती बबीता और राधेश्याम के मध्य पति पत्नी के संबंध स्थापित मानते हुए और राधेश्याम द्वारा श्रीमती बबीता का बिना उचित कारण के भरण पोषण से इंकार करने के आधार पर 1500/-रूपये मासिक भरण पोषण का आदेश पारित किया जिसमें यह निष्कर्ष दिया कि राधेश्याम ने श्रीमती बबीता का स्वेच्छया से त्याग किया है। किन्तु आलोच्य आदेश करते समय जिन बिन्दुओं पर आदेश को आधारित किया उसमें बिन्दु क्र०-2 यह भी निर्मित किया गया था कि क्या आवेदिका पूर्ण रूप से विकसित महिला है ? जिसके संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला है। स्वीकृत तथ्यों मुताबिक श्रीमती बबीता को सक्षम न्यायालय द्वारा वैवाहिक प्रकरण क्र०-19/2014 आदेश दि०-15/09/2016 में यह निष्कर्ष निकालते हुए विवाह को शून्य घोषित किया कि श्रीमती बबीता नपुंसक महिला है और उसने अपनी नपुंसकता को छिपाते हुए विवाह संपन्न कराया था। जो आदेश अभी प्रभाव में है। अर्थात् उक्त आदेश मुताबिक विवाह प्रारंभ से ही शून्य था। ऐसे में पक्षकारों के मध्य पति पत्नी के संबंध ही स्थापित होना नहीं माने जा सकते हैं। इस दृष्टि से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि संम्बत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी यह बिन्दु उठाया गया था और ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को अपनी कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिये थी।

10. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित और औचित्यहीन हो जाता है। और पति-पत्नी के



संबंध ही स्थापित नहीं होने से धारा-125 दप्रसं0 का भरण पोषण संबंधी कल्याणकारी उपबंध पक्षकारों के मध्य आकर्षित ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश यथावत रखने योग्य नहीं है। परिणाम स्वरूप प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका वाद विचार स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित-04 / 08 / 2014 अपास्त किया जाता है।

11. उभयपक्षकार अपना अपना प्रकरण व्यय स्वयं वहन करेंगा।
12. व्यय तालिका निर्मित हो।
13. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस हो।

दिनांक 31/01/2017 आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया  
आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)